न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – **दलपतसिंह राजपुरोहित**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 73/2022

नारायणराम पुत्र चेताराम, उम्र 40 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी दिधू, पुलिस थाना नाचना, जिला जैसलमेर (राजस्थान) .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राजस्थान राज्य ....अप्रार्थी

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 117/2022, पुलिस थाना–पोकरण , जिला–जैसलमेर।
अपराध अन्तर्गत धाराएं 418, 420, 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित

1– श्री सुखराम विश्नोई, विद्वान अधिवक्ता–वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।

2– विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते–राज्य पक्ष।

–: आदेशः – **दिनांक–16.09.2022**

1– यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त नारायणराम की ओर से अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ।

2– प्रार्थी/अभियुक्त ने इस प्रार्थना पत्र के जरिये एफआईआर नंबर 117/2022 पुलिस थाना पोकरण, जिला–जैसलमेर अपराध अन्तर्गत धाराएं 418, 420, 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता में जमानत हेतु निवेदन किया एवं यह स्वयं की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना प्रकट किया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अनवान में प्रार्थी को पुलिस द्वारा सरासर झूठे रूप में फंसाया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को गलत रूप से उक्त प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है वास्तव में प्रार्थी ने इस प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसके कारण वे आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड जैसी सजाओं से दण्डनीय हो। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित हर शर्त की पालना करने को तैयार है। प्रार्थी अपनी जमानत हेतु उचित मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। तरदीदी साक्षी में प्रार्थी अभियुक्त द्वारा गवाहन को डराने धमकाने की कोई आशंका नहीं हैं और प्रार्थी/अभियुक्त गांव दिधू तहसील पोकरण , जिला जैसलमेंर के मूल निवासी है न ही प्रार्थी / अभियुक्त के कही

भागने की कोई संभावना है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश फरमावे जावें।

4— बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। ।

5— योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से तर्क रहे हैं कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, प्रार्थी/अभियुक्त जैसलमेंर जिले का निवासी हैं जिसके भागने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व ऐसे कोई अपराध का आरोप नहीं है जिसमें मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित हर शर्त की पालना करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत हेतु उचित मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर उसे जमानत का लाभ दिया जावे।

6— वहीं विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7— उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अध्ययन किया।

8— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मनीष पुत्र फूलचन्द ने दिनांक 11.07.2022 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण के समक्ष अभियुक्तगण नारायणराम एवं अचलाराम के विरूद्ध परिवाद अंतर्गत धारा 418, 420, 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि परिवादी पोकरण का मूल निवासी है। परिवादी एवं उसके भाई से अभियुक्त नारायणराम ने संपर्क कर स्वयं का खेत खसरा नंबर 1453/1, रकबा 03 बीघा, खसरा नंबर 1455, रकबा 30.11 बीघा, कुल 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि गांव दिधू पटवार हल्का अजासर तहसील पोकरण बेचने की इच्छा जाहिर की, जिस पर परिवादी एवं उसके भाई ने अभियुक्तगण की बातों पर विश्वास करके जमीन में कृषि बिजली कनेक्शन होने के कारण कुल 8,00,000/—रूपए में उक्त भूमि अभियुक्त नारायणराम से खरीद की। बेचाननामा में अभियुक्त नारायणराम ने स्पष्ट लिखकर दिया कि उसने मय कृषि विद्युत कनेक्शन भूमि का बेचान कर दिया है। उक्त बेचाननामा के पश्चात् परिवादी एवं उसके परिवार ने मौके पर कब्जा प्राप्त किया एवं काश्त शुरू की। परिवादी ने अपनी भूमि पर स्वयं के नाम से कृषि कनेक्शन परिवर्तित करने के संबंध में सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नाचना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अधिशाषी अभियंता (पवस) पोकरण ने जरिए आदेश दिनांक 17.06.2022 उक्त कनेक्शन परिवादी के नाम ट्रांसफर किया। दिनांक 01.07.2022 को अभियुक्तगण ने आपराधिक षड़यंत्र रचकर परिवादी एवं उसके भाई के साथ धोखा करने एवं वर्तमान में बोयी हुई फसल को नष्ट एवं बरबाद करने की नीयत से अधिशाषी अभियंता के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उन्होनें अपनी आंशिक भूमि का बेचान किया था, न कि कृषि कनेक्शन, जिस पर विभाग द्वारा परिवादी के नाम

से किया गया आदेश निरस्त कर परिवादी की भूमि में स्थित कृषि विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया...आदि। उक्त परिवाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के प्रावधानों के तहत पुलिस थाना पोकरण को प्रेषित किए जाने पर पुलिस थाना पोकरण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 117/2022 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

9—अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज/विचाराधीन नहीं होना बतलाए गया है।

10— थानाधिकारी की ओर से प्रस्तुत तत्थात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी पर मौजूद तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध खुद के द्वारा बेचान किये गए कृषि भुमि पर बिजली कनेक्शन को क्रेता के नाम ट्रान्सफर करने से रोकने का मामला अन्वेषणाधीन है। प्रार्थी व परिवादी के मध्य कृषि भुमि का क्रय—विक्रय हुआ है, साथ ही विद्युत कनेक्शन को क्रय—विक्रय करने के विवाद के आधार पर विद्युत विभाग में प्रार्थी द्वारा विद्युत कनेक्शन को परिवादी के नाम अन्तरण करने के आदेश को प्रार्थना पत्र देकर रूकवाया गया। अतः इस स्तर पर पक्षकारो के मध्य विवाद की प्रकृति को दैखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर और अधिक टिप्पणी किये बिना न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित पाया जाता है।

—: आदेश :—

11— परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त नारायणराम की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत का आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण की संतुष्टि के अनुसार 50,000/—रूपये की राशि का निजी बंधपत्र व 25,000/—25,000/—रूपये की राशि की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

(दलपतसिंह राजपुरोहित)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पोकरण (जैसलमेर)

12— आदेश आज **दिनांक 16.09.2022** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दलपतसिंह राजपुरोहित)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पोकरण (जैसलमेर)